

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/9470 /

जबलपुर, दिनांक 15/12/2023

II-14-73/23

श्री जीवन हाडे, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को म.प्र. सिविल सेवा अवकाश नियम 17 एवं नियम 23 के अनुसार अनफिट-फिटनेस चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने से चिकित्सीय आधार पर दिनांक 01.09.23 से 12.10.23 तक 42 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल
महोदय के आदेशानुसार

सही / -

(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)


पृष्ठांकन क्रमांक B/9471 /

जबलपुर, दिनांक 15/12/2023

II-14-73/23

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर ज्ञापन क्रमांक Admin/Leave/2337 दिनांक 07.11.2023 के संदर्भ में श्री जीवन हाडे, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर के निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र, निर्धारित प्रपत्र, कर्तव्य पर उपस्थित होने का आवेदन पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चिकित्सीय पेपर्स को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


16.12.23
(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)